



PIIL:SEC:NSE/BSE:31:2026-27

July 21, 2026

BSE Limited Corporate Relationship Department PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Code No. 523642	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Code No. PIIND
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub.: Newspaper Advertisement – Notice of 79th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper advertisements published in the following newspapers with respect to Notice of 79th Annual General Meeting (‘AGM’) of the Company scheduled to be held on **Friday, August 14, 2026 at 10:30 A.M. (IST)** through Video Conferencing (‘VC’)/ Other Audio-Visual Means (‘OAVM’). The Notice of the AGM was electronically dispatched to the shareholders on July 20, 2026.

- Financial Express (National daily newspaper - All India English Edition) on July 21, 2026
- Prataskal (Daily newspaper- Hindi Edition), Udaipur on July 21, 2026

The aforesaid advertisement are also made available on the Company's website at <https://www.piindustries.com/investor/disclosure/agm/>.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **PI Industries Limited**

Shruti Joshi
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

Registered Office:

PI Industries Limited

Udaisagar Road, Udaipur – 313001, Rajasthan, India.

Tel.: 0294 6651100, 2492451 – 55 | CIN: L24211RJ1946PLC000469

✉ info@piind.com  www.piindustries.com

तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने जनजीवन किया बेहाल

मानसून की बेरुखी से फसलों पर छाया संकट

चित्तौड़गढ़ (प्रातःकाल संवाददाता)। जिले में इस बार मानसून की बेरुखी से आमजन और किसान बेहद परेशान हैं। जुलाई का महीना अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन औसत से काफी कम बारिश होने के कारण जिलेभर में चिंता की स्थिति बनी हुई है। बारिश की लंबी खींच से जहां एक ओर खरीफकी फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। जिले में मानसून की शुरुआती सुगन्गाहट के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। किसानों ने बुवाई तो कर दी थी, लेकिन पानी के अभाव में अब फसलें मुरझाने लगी हैं।

मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और दलहनी फसलों को इस समय पानी की सख आवश्यकता है। बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है, तो फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिले के छोटे-बड़े लगभग सभी प्रमुख बांध और जलस्रोत इस समय सूखे या जलस्तर के न्यूनतम स्तर पर पड़े हैं। मानसूनी बारिश नहीं होने के कारण बांधों में नाममात्र का ही कैचमेंट वाटर आया है। जलाशयों के खाली रहने से न केवल



धूप से बर्बाद करते राहगीर। फोटो : पीथूष

सिंचाई के लिए पानी की किल्लत होगी, बल्कि आने वाले दिनों में भूजल स्तर गिरने से पेयजल का गंभीर संकट भी खड़ा हो सकता है। जुलाई माह में आमतौर पर रिमझिम और मूसलाधार बारिश से मौसम सुहावना रहता है, लेकिन इस बार हालात इसके विपरीत हैं। सुबह से ही कड़क धूप और भारी उमस के कारण लोग पसीने से तर-बतर हो रहे हैं। जिले के किसान और आम नागरिक अब ईश्वर से अच्छी बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। मौसम विभाग के अगले पूर्वानुमानों और बादलों की ओर हर किसी की टकटकी लगी हुई है, ताकि चित्तौड़गढ़ की प्यासी धरती और फसलों को नवजीवन मिल सके। इस मौसम के कारण अस्पतालों में मौसमी बीमारियों,

खेरोदा में ग्रामीणों ने बारिश को लेकर किया हवन-यज्ञ

खेरोदा (प्रातःकाल संवाददाता)। खेरोदा क्षेत्र में लगातार बारिश नहीं होने से घिंतित ग्रामीणों ने कखे के चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण में धार्मिक अनुष्ठान किया। गांव के गाणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान श्री चारभुजानाथजी और माताजी को पारंपरिक चूड़म का भोग लगाया गया तथा क्षेत्र में अच्छी बारिश, खुशहाली, सुख-समृद्धि और उत्तम फसल की कामना की गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस वर्ष अपेक्षित बारिश नहीं होने से किसान घिंतित हैं। खेतों में बुवाई के बाद पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों पर प्रतिकूल असर की आशंका बनी हुई है। इसी को लेकर गांव की सुख-शांति और समय पर अच्छी बारिश की मंगल कामना के लिए यह सामूहिक अनुष्ठान आयोजित किया गया था। हवन-यज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कर क्षेत्र को हठ-भरा बनाते और किसानों की मेहनत सफल होने की प्रार्थना की। अनुष्ठान के संपन्न होने के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया।

डिहाड़इशन और बुखार के मरीजों की संख्या और आम नागरिक अब ईश्वर से अच्छी में इजाफ़ देखा जा रहा है। जिले के किसान बारिश की प्रार्थना कर रहे है।

अवैध बजरी खनन पर ग्रामीणों का अल्टीमेटम



आरक्षित भूमि बचाने को एकजुट हुए ग्रामीण राजसमंद (प्रातःकाल संवाददाता)। मोही कखे की बनाव नदी में रमशान घाट के लिए आरक्षित भूमि के आसपास कथित अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते लीज क्षेत्र से बाहर ढेर रात अवैध रूप से बजरी का दोहन किया जा रहा है। बिना रॉयल्टी टैक्टरी से बजरी परिवहन होने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बनाव नदी स्थित रमशान घाट के आसपास की भूमि को गांव के लोगों ने सुरक्षित रखा हुआ है। यदि यहां से बजरी का दोहन जारी रहा तो भविष्य में रमशान घाट का अस्तित्व ही समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी बजरी लीज

धारक का विरोध कर सीमा से बाहर खनन नहीं करने का आश्वासन लिया गया थाए लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रात के समय कथित रूप से अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। सोमवार को मोही के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और चेतावनी दी कि यदि रमशान घाट के आसपास या लीज सीमा से बाहर बजरी का दोहन किया गया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मोही उप प्रशासक दिग्विजय सिंह भाटी, यादवेंद्र सिंह भाटी, पूर्व संपर्क जगदीश चंद्र तेली, राजवास के पूर्व संपर्क बाबूलाल खारोल, देवनारायण तेली, रमेश चंद्र टांक, गोपाल टांक, कैलाश चंद्र तेली, कालूराम कोर, सोहनलाल, सुरेश चंद्र शर्मा, नारायणलाल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।

प्राचार्य समागम में कुलगुरु ने दिए गुणवत्ता, अनुशासन और छात्र-केद्रित शिक्षा के मंत्र

बांसवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों का प्राचार्य समागम कार्यक्रम हुआ। कुलगुरु प्र. केशव सिंह ठाकुर ने महाविद्यालयों को शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासित प्रशासन एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा की दिशा में कार्य करने का आह्वांन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों, अधिसूचनाओं एवं दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना, विद्यार्थियों की शिकायतों ग्प्रिवेन्स का त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण करना तथा परीक्षा प्रणाली का समयबद्ध एवं नृतिरहित संचालन प्रत्येक संस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय के सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करते हुए शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं परीक्षा संबंधी कार्य निष्पक्ष, प्रशासनिक एवं परीक्षा जाएँ। कुलगुरु ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020



का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, कौशलयुक्त, नवाचारी एवं रोजगारोन्मुख बनाना है। इसके लिए छात्र-केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाई जाए तथा कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, इंटरशिप, डिजिटल शिक्षा और बहुविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा, नैतिक मूल्यों, स्थानीय ज्ञान एवं जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने पर भी बल दिया।

निर्माण कार्य के चलते आवागमन रहेगा बाधित

कपासन (प्रातःकाल संवाददाता)। नगरपालिका कपासन की ओर से बालारड़ा मार्ग पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास क्रॉस निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते उक्त मार्ग पर आवागम बाधित रहेगा।

नगरपालिका प्रशासन ने आमजन से उक्त मार्ग बंद रहने के चलते वैकल्पिक मार्ग के लिए गुलाबसमार्ग की पाल पर होते हुए राज्यमार्ग पर जाने वाले रास्ते का उपयोग करने का आग्रह किया है।



बांसवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जिले के विभिन्न राजकीय जनजातीय छात्रावासों में छात्रों को दिए जा रहे खराब और गुणवत्ताहीन राशन के विरोध में प्रदेश सचिव राहुल कटारा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हॉस्टलों की अव्यवस्थाओं और छात्रों के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ पर चिंता जताई गई है।

संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में जिले के विभिन्न राजकीय जनजातीय छात्रावासों का औचक निरीक्षण करने पर छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली राशन सामग्री में भारी अनियमितताएं और बेहद घटिया स्तर का खाद्यान्न पाया गया जो कि चिंताजनक है। इन लोगों ने बताया कि छात्रावासों में वर्तमान में उपलब्ध गेहूं, चावल, मसाले और मिर्च की गुणवत्ता अत्यंत घटिया और निम्न स्तर की है अतः

इसे तुरंत बदला जाए। साथ ही खाद्य या रसद विभाग की टीम भेजकर भोजन की तत्काल प्रयोगशाला जांच करवाने, सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वच्छ, पोष्टिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, जांच में खाद्यान्न की आपूर्ति या खराखवा में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित वेंडर, जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक

कार्यवाही करने की मांग की गयी। प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर त्वरित सज्ञान लेने का आग्रह किया।

ज्ञापन देने वालों में इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह, अलकेश बारिया व हॉस्टल के छात्र गोपाल, अनिल रीतिक मईडा सहित संगठन पदाधिकारी शामिल रहे।

10 सूत्रीय मांगों को लेकर आँटो चालकों का प्रदर्शन, निकाली रैली

भीलवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सोमवार को भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भीलवाड़ा जिला टेंपो यूनियन द्वारा शहर में एक वाहन रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों टेंपों की चालकों ने हिस्सा लिया और जिला प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी। यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार सभी टेंपो चालक श्रम विभाग मैदान में एकत्रित हुए। यहाँ से टेंपो सहित वाहन रैली रवाना हुई, जो पोंसल चौराहा, गंगापुर चौराहा, रेतवे फाटक, साबुन मार्ग, नार निगम कार्यालय, कोतावली रोड, रेतवे स्टेशन और शेरात कोर्ट जैसे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली के दौरान वाहनों की व्यवस्थित रखने के लिए पार्किंग विधुत कार्यालय वाली रोड पर की गई। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद टेंपो चालकों ने प्रदर्शन किया। इस

दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला मंत्री हरीश सुवालका ने कहा कि प्रशासन लंबे समय से टेंपो चालकों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे चालकों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शन के बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

आम सूचना
हर आम व ख़ास को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मन्जुवती शर्मा जी की आंखें सुन्नर रंगम, ज्योति रंगम, दिनांकी 2/3/17, पिबट्टे नगर, गैरवेन्समेट कॉलोनी, रथम नगर भी ब्लॉक, लिवाँ, उदयपुर, जिला उदयपुर से देहावलक डीएस प्लान नं० जी डब्लू, जॉति डब्ली अप्रै 40 वषे निवासी जॉतिगी का जी डब्लू, लखवली, उदयपुर, जिला उदयपुर द्वारा एक पंजीकृत सामान्य अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटोर्नी) देहावलक डब्ली द्वारा अपने पथ में निष्पादित दिनांक 15/07/2026 एवं पंजीकृत दिनांक 16/07/2026 को उरगतिरक कर्मावलक डब्ली में पंजीकृत कराई जिसके संकेतक संख्या 202601272001549 है। उसे मेरी कार्यवाही श्रीमती मन्जुवती द्वारा दिनांक 17/07/2026 को ही बहिस्तृत रूप से निरस्त पोषित कर दिया गया है और जिसके निरस्तिकरण विवेक का भी पबित्तन उत्पन्निकृत कार्यलय देहावलक में दिनांक 17/07/2026 को ही निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया है जिसके दस्तावेज पंजीकरण संख्या 202601272001579 है। अतः उक्त दिनांक 17/07/2026 से उक्त पावर ऑफ एटोर्नी पूर्णतः रद्द एवं पबित्तन है। उक्त सामान्य अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटोर्नी) के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति को मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कार्य लेने देन, विकरा हस्ततारण विवेक अनुम्वन अन्वेषन अन्त को कार्य करने का कोई हक अधिकार नहीं है। यह कोई कर्मा, संस्था, निवास, पते, बैंक हवाई अड्डा निरस्त सामान्य अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटोर्नी) के आधार पर कोई लेने देन, विकरा हस्ततारण कार्य, संव्यवहार अनुम्वन करता है तो वह पूर्णतः उक्तके अपने जोड़ियन जवाबदारी एवं खर्च पर होगा और उक्त हक लेने वाले कार्यवाही श्रीमती मन्जुवती किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी और वह दस्तावेज मेरे कार्यवाही के हक अधिकारों के मुकामले बेला, बेवैसर एवं शुद्ध माना जयेगा। से सुचित रहे।
स्थान : नाथद्वारा संतरेप अंगाराम सदाव्य-पड़वोकेट दिनांक : 20/07/2026 ऑफिस : मकान नं 75, चौरा नगर, नाथद्वारा तह. नाथद्वारा जिला राजसमंद, मो. 9352903455

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED	पंजीकृत कार्यालय
	यूनिट नंबर 301, तीसरी मंजिल, हरचजन कमर्शियल प्रॉपर्टिस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सीएसटी इड, बीबीसीकूल पेट्रोल पम्प के सामने, कलिका, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098.
	CIN: U65922MH2016PLC273826

कच्चा सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के परिशिष्ट IV की नियम 8 (1) और नियम 8 (2) के साथ पढ़ा जाए)

जबकि, अधोस्थावरी वित्तीय परिसंस्थितियों के प्रतिपूबिकरण और पुर्ननिर्माण तथा सूचना हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के भाग सेंद्रम हदरसिंग फादेनस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है और सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित जाए (13 (12) के तहत प्रदत शर्तिलयों का प्रयोग करता है। कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अचार्कल (ओं)/सह-अचार्कल (ओं)/गार्टर (ओं) को मांग नोटिस जारी किया जाता है। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबिदात्मक ब्याज, दंडवत्क ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस में उल्लिखत कक्काय गिर चुकाने होगा। उक्ताकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, अचार्कल (ओं)/सह-अचार्कल (ओं)/गार्टर (ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नौवें वर्षोत संपत्ति पर नौवें हस्तक्षेपकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत शर्तिलयों का प्रयोग करते हुए कच्चा कर लिया है। विवेक रूप से अचार्कल और सामान्य रूप से जनता को आग्रह किया जाता है कि वे संबंध के साथ लेनदेन न करें और संबंध के साथ कोई भी लेनदेन सेंद्रम हदरसिंग फादेनस लिमिटेड के अनुबधात्मक कक्का और दंडवत्क ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ शुल्क के अधीन होगा। सुरक्षित संस्थितियों को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अचार्कल का समत अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धनों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं. अधारकर्ता (ओं) के नाम	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण (अचरल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और की तिथि	कच्चा लेने की तिथि
1. UDRBW24015259 पौराज हरिजनन रोन पौराज	अन्तर् संर्षित के अधिकार, भाग और अंश में, आराजी से. 2001, पट्टा सं. 09, वाई से. 05 माप 2000 वर्गफुट, इगुरी बरली, ग्राम व ग्राम पंचायत बडोदिया, पंचायत समिति- बानोदिया, जिला- बांसवाड़ा-327604, राजस्थान। सीमार्द :- पूर्व : सीसी सड़क, पश्चिम : मोहन पुत्र हीरा का मकान, उत्तर : सीसी सड़क, दक्षिण : फंकज पुत्र गाम हरिजन का मकान	27-जनवरी-26/ रू. 5,96,896/- (रुपये पांच लाख छठ्ठाने हजार आठ सौ छियावसे पाय)	16-07-2026
2. UDRBW23013772 रंघे लाल/ गीत गायत	अन्तर् संर्षित के अधिकार, भाग और अंश में, सर्वे सं. 347, पट्टा सं. 7, माप 471.5 वर्गफुट, ग्राम व ग्राम पंचायत- इगुरिया तहसील घाटोल, जिला- बांसवाड़ा-327027, राजस्थान। सीमार्द :- पूर्व : मन्दिर, पश्चिम : सड़क, उत्तर : स्वर्त की भूमि, दक्षिण : जीवा पुत्र प्राताप का मकान	31-दिसम्बर-25/ रू. 7,45,900/- (रुपये सात लाख पैंतालीस हजार नौ सौ पाय)	16-07-2026
2. UDRBW23011289 नारिया डामर/ हजाना देवी	अन्तर् संर्षित के अधिकार, भाग और अंश में, आराजी से. 1772, पट्टा सं. 06, माप 6650 वर्गफुट, ग्राम व ग्राम पंचायत- पालोली इगुरी तहसील घाटोल, जिला- बांसवाड़ा-327001, राजस्थान। सीमार्द : - पूर्व : मणिलाल का मकान, पश्चिम : खाली भूमि, उत्तर : रंकर का मकान, दक्षिण : सड़क	09-अप्रैल-26/ रू. 5,49,909/- (रुपये पांच लाख उनपचास हजार नौ सौ पाय)	16-07-2026
दिनांक : 21.07.2026/ स्थान : राजस्थान	हस्ता./- अधिकृत अधिकारी, वास्ते सेंद्रम हाउसिंग फाईनेन्स लि.		

आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि 23 तक

गंगापुर (प्रातःकाल संवाददाता)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) गंगापुर में विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

संस्थान के सहायक निदेशक बुद्धि प्रकाश जीनगर ने बताया कि एनसीवीटी योजना के अंतर्गत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सिलाई टेक्नोलॉजी , वेल्डर, मैकेनिकल डीजल सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश के लिए आवेदन 15 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं, जिनकी अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि महिला अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे अधिक छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 24 जुलाई तक प्रोजेक्शनल मेरिट सूची जारी की जाएगी, जबकि प्रथम सीट आवंटन 28 जुलाई को किया जाएगा।

कपासन नगरपालिका ने खरीदा नया ट्रैक्टर

कपासन (प्रातःकाल संवाददाता)। नगरपालिका कपासन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऋज किए गए नवीन ट्रैक्टर की विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने पुजा अर्चना एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार सायं आयोजित कार्यक्रम में विधायक जीनगर ने नवीन ट्रैक्टर को पुजा अर्चना की। पंडित राजेन्द्र व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजा अर्चना सम्पन्न कराई। विधायक जीनगर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर को रवाना किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी खेमराजसिंह गुर्जर, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर टेलर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राज विजयवर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास बारोगमा, मंडल महामंत्री सोहनलाल खटीक निर्वतमान पार्षद अशोक विजयवर्मा, मुकेश पलोड़, गोपाल पुरबिया, तरुण बारोगमा, चालक गोपाललाल आदि उपस्थित थे।

Rajasthan.State.Road.Development.And.Construction.Corporation.Ltd.,JAIPUR	
No.NIT/2026-27/4868-77	ई-निविदा सूचना संख्या NIT/26/2026-27
Date: 20.07.2026	
निम्नलिखित कार्य के लिए केन्द्र / स्वयं सरकार के अधिाधिकारी विमान एवं उनके अधिकृत सम्पत्तों में पंजीकृत एवं अनुपवी संवेद्यता से निविदा प्रदान में ई-ओएनएमेट प्रक्रिया हेतु अनिवार्य निविदाएं आमंत्रित की जाती है।	
मांग का विवरण	मांग की कुल अनुमानित रक्कत (रु.)
SITC of VMV Air Conditioning System in Remaining area of New IPG & Dhyays Block at MG Hospital, Bhubhara, UDAIPUR.	292.58 Lakh
निविदा से सम्बंधित पत्र में निम्नित पुष्टक, पेशद सही, उम्मेदवारी करने व खोले की सर्तित सर्तित सर्तित सर्तित एवं संशोधन वेबसाईट: http://eproc.rajasthan.gov.in, http://spp.rajasthan.nic.in तथा http://pwr.rajasthan.gov.in/srdsr पर देखा जा सकता है। इच्छुक संस्थाओं को अपने अधिकृत अधिकारी के सम्पर्क से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर संपर्कित करवाना आवश्यक है।	नगरपालिका

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

राजीकृत कार्यालय: उदयसागर रोड, उदयपुर-313001 (राजस्थान)
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट संख्या 3ए, पहली मंजिल, द ओआरबी, सीटीएस संख्या 1483डी, आईए प्रोजेक्ट रोड, जेडब्ल्यू मेरियट होटल के साथ में, सहाय, गाँव मरोल, तालुका, अमेरी (पूर्व), मुंबई 400099, महाराष्ट्र
ईमेल आईडी: investor@piind.com, वेबसाइट: www.piindustries.com
फोन: 0294-6651100

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘वीसी’)/अव्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (‘ओवीएम’) के माध्यम से आयोजित होने वाली 7वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एलद्दारा सूचित किया जाता है कि पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (‘कंपनी’) के सदस्यों की 7वीं वार्षिक आम बैठक (‘एजीएम’) बुधवार, 14 अगस्त 2026 को प्रातः 10:30 बजे (आईएसटी) वीसी/ओवीएम के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (‘अधिनियम’), भारतीय वित्तीय और वित्तीय बंड (सेबी) के विनियमों और प्रवर्तकण आयांकरण अधिनियम, 2016 (सेबी सूचीबद्धता अधिनियम) तथा कॉर्पोरेट गवर्नं न्यास (एनसीए) द्वारा जारी विनियम परिपत्रों, जिनमें 22 सितंबर 2025 दिनांकित नवीनतम एनसीए परिपत्र तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र, जहाँ लागू हो, शामिल हैं के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी / कॉर्पेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (‘कॉर्पेन’), एक्ज्यूटिव के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (‘आरटीए’)/ डिजिटली प्राडिफिंसेड (डीपी)/ डिजिटली के साथ जीक्यूएन हैं। सेबी लिस्टिंट वित्तीयमों के वित्तीयम 36(1)(डी) के अनुसार, उन शेयरधारकों को संचार पत्र भेजा गया था जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, जिसमें बैंक-लिंक और कंपनी की वेबसाइट का सटीक पथ शामिल था जहां से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस की मौलिक प्रति केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएगी जो वित्तीय रूप से investor@piind.com पर लिखकर इसका अनुरोध करेंगे। इसके अतिरिक्त, एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मद्दे से संबंधित दस्तावेज एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.piindustries.com/investor/disclosure/agn/ पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर, और कॉर्पेन की वेबसाइट https://evoting.kinfotech.com पर भी उपलब्ध हैं।

केवल वे सदस्य, जिनके नाम ‘कट-ऑफ तिथि’ यानी शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर/लमार्णी मालिकों की सूची में दर्ज हैं, एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से evoting@kinfotech.com या टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-नोटिंग का विवरण:

कंपनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंट वित्तीयमों के वित्तीयमन 44 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 108 के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य इस संघार में उल्लिखित तिथियां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (‘रिमोट ई-वोटिंग’) और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (‘एजीएम में ई-नोटिंग’) का उपयोग करके, दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा कॉर्पेन द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग का विवरण इस प्रकार है:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	गुक्रवार, 13 अगस्त, 2026 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)

एजीएम में ई-वोटिंग एजीएम की समाप्ति के बाद 15 मिनट तक खुली रही जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल की कॉर्पेन द्वारा पूर्ण अमर कर दिया जाएगा। एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट प्रस्तुत करने के बाद, सदस्य को बाद में वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य https://meetings.kinfotech.com पर जाकर एजीएम में भाग ले सकते हैं।

में शामिल होने और रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है। वक्ता के रूप में पंजीकरण करने और अपने प्रश्न पोस्ट करने की प्रक्रिया: जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहते हैं, वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए एजीएम के वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं या https://meetings.kinfotech.com को लॉग इन करके और 09 अगस्त, 2026 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी), 10 अगस्त, 2026 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी), तक की अवधि के दौरान ‘स्पीकर पंजीकरण’ या ‘अन्यी सेवेरी पोस्ट कर’ टैब पर क्लिक करके investor@piind.com पर रहने से ही अपने प्रश्न/विचार/प्रश्न भेज सकते हैं।

एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर कंपनी एजीएम के दौरान विचार किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या और सतताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके अलावा इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है। ई-नोटिंग प्रक्रिया की निम्नलिखित के लिए संबंधित:

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया, निम्नलिखित और पारदर्शी तरीके से चलाए करने के लिए श्री आशीष के क्रेडिट, कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रिक्टिस को ‘क्रेडिट/आधार’ के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम में पोषित होनी पड़, इलेक्ट्रॉनिक रूप से लमार्श प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण सहित केवाईडी पंजीकृत करने का तरीका:

मौलिक होस्टिंग
मौलिक वार्षिकीक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वित्तीयम सेवा (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में लमार्श प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल तथा ओवीएम कोई खाता विवरण (पंजीकृत/अवधान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विवरणों की जीक्यूए या अवधान करने के लिए, उसमें निर्धारित नर-सततावित सहायक दस्तावेजों के साथ विहितत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसएसआर –1 जमा करें।
क. पैन, केवाईडी विवरण
ख. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे अपने खाते में लमार्श प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण या उनके पते में परिवर्तन
ग. एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस और अन्य स